कच्छ वनस्पति और तेंदुए

प्रसाद शेट्टी

इस लेख में मुंबई शहर के ऐसे तीन मामलों की चर्चा है जिनसे हाल के वर्षों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और नई अर्थव्यवस्था के कारण बदलते परिदृश्य में इसके स्थान की जानकारी मिलती है। इस जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है शहर के संसाधनों का उचित उपयोग। इन लेखों में इन्हीं मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

पहला मामला

पर्यावरण के प्रति जागरूकता

इस वर्ष मुंबई में एक अनोखी घटना घटी। जून के अंत और जुलाई के आरंभ में मुंबई के राष्ट्रीय पार्क में एक दर्जन से ज्यादा तेंदुओं ने अपने अपने कुत्तों के साथ सुबह की सैर के लिए निकले बाकायदा कर अदा करने वाले नागरिकों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टेलिविजन के कार्यक्रमों में पर्यावरणविद् सुर्खियों में आ गए। उन्होंने तेंदुओं के अधिकारों का मुद्दा उठाया था। उनका तर्क था कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण पर भयंकर हमला हो रहा है।

बेशक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के मुताबिक मुंबई की जनजातीय आबादी का जंगली जानवरों से हमेशा खतरा रहा है। अब शहरी लोगों ने पहली बार इस समस्या को देखा-समझा है। अब उद्योगपति, व्यावसायिक और सक्रिय कार्यकर्त्ता इस समस्या पर मिलकर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हरियाली और भूरे वनस्पति और जमीन को बचाने के लिए पर्यावरण जागरूकता हाल ही में सक्रिय हो गई है।

★ विवेक पंडित गत बीस वर्षों से मुंबई महानगर क्षेत्र के जनजातीय इलाकों में काम कर रहे हैं। मेरी उनसे लम्बी बातचीत हुई है। समाचार पत्रों के दूसरे तीसरे सफे पर जनजातीय आबादी पर तेंदुओं के हमलों की खबरें छपती ही रहती हैं।

★ मुंबई शहर में सात टापू हैं। इनमें धान के खेत हैं। ऐसे गाँव हैं जहाँ मछेरे रहते हैं और बड़े-बड़े जंगल हैं। स्थानीय और उपनिवेशी प्रशासनों ने बार-बार जमीन हथियाई है, इसलिए शहर के स्थान-वर्णन में बदलाव आया है। ऐसा सिर्फ जमीन हथियाने के लिए नहीं किया

गया। इसका एक कारण था कच्छी जमीन से मछेरों का सफाया करना।

शहर में पर्यावरण के प्रति एकाएक उत्पन्न हुई जागरूकता की गहरी जाँच करने की जरूरत है। शहर के इतिहास में हरियाली और भूरे वनस्पति और जमीनमें हमेशा बड़ी तेजी से बदलाव आते रहे हैं। 17 और 18वीं सदियों में भूमि-उद्धार किया गया था।19 और 20वीं सदी में धान खेतों को औद्योगिक क्षेत्रों में बदल दिया गया था। *20वीं सदी में जमीन हथिया कर आवासीय और व्यावसायिक नगर या बस्तियाँ बनाई गई हैं। यह तो आज की नई बात है कि हम पर्यावरण के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं कि हम कच्छ वनस्पति और हंसावरों फ्लेमिंगो की चर्चाएं करने लगे हैं। मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि जागरूकता, हाल के वर्षों में बदल रहे आर्थिक दृश्य के भीतर निहित है।

मिल्कीयत में भारी विकेन्द्रीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय उत्पादन को सस्ता बनाने में अब कोई रुचि नहीं रह गई है। न ही इस क्षेत्र में उनमें कोई स्पर्धा है। यह स्पर्धा अब छोटे ठेकेदारों और मजदूरों के बीच होती है। हाँ, बहुराष्ट्रीय समुदाय में सामान बेचने की प्रतिस्पर्धा जरूर है। बिक्री के क्षेत्र में दुकानों-मंडियों तक पहुंचने के नए-नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। शहरी इलाकों में गृहणियों को एजेन्ट बना कर बाजार में उतारा गया है। इन चीजों को बेचने के लिए उत्पन्न की गई प्रतिस्पर्धा ने खपत के तौर–तरीके बदल दिए हैं। बेचने के तौर–तरीकों में आए बदलाव के कारण उत्पादों की गुणवत्ता का महत्व बढ़ गया है। इस गुणवत्ता के चलते बिजली का सामान बेचने के लिए चौबीस घण्टे काम करने वाले कॉल सेन्टर खुल गए हैं, दांत साफ करने के ब्रुश अब लचकदार हो गए हैं, मोबाइल फोनों में कैमरे लग गए हैं और भी बहुत कुछ नया हो रहा है। इन नए प्रयोगों ने ऊर्जा बचाने के स्थान पर ऐसे नए उत्पाद बना दिए हैं जिनमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इस गुणवत्ता की होड़ ने अब एक ऐसे उपभोक्तावाद को जन्म दे दिया है जिसमें विशेष सेवाओं की मांग बढ़ गई है। घर के रख-रखाव के लिए सलाहकार, कंप्यूटर की देख-रेख के लिए एजेन्सी या फिर भवनों के लिए इंटीरियर कंसेल्टेंट ढूंढ़ना अब आसान हो गया है। दरअसल इस माँग ने उत्पादों के लिए नए मूल्यों को जन्म दे दिया है। हर कोई तनाव रहित खूबसूरत जीवन चाहने लगा है। ऐसी दुकानें जहां जैव खाद्यान सामान, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद मिलते हों, स्वास्थ्य बेहतर बनाने के खाद्यान्न विशेषज्ञ, ब्यूटी पार्लर,

जिमनेशियम, स्वास्थ्य उपकरणों के इश्तिहार, फर्नीचर और फैशन बूटीक आज की आम जरूरतें बन गई हैं। इस लेख का पहला दावा यह है कि नई अर्थव्यवस्था में पर्यावरण यह नयी जागरूकता पनप रही है। तेंदुए के हकों के लिए लड़ने और शहर की कच्छ वनस्पति को बचाने का विचार तभी उठा जब पर्यावरण के प्रति जागरूकता उभरी। हरियाली के प्रति जागरूकता का प्रेरक कारण है सफाई, अच्छी जीवन शैली, अपराध रहित वातावरण, स्वाथ्यवर्धक खाद्यान सामग्री इत्यादि की वे अवधारणाएँ जो प्राथमिक तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की मार्केटिंग तकनीक का अंग है।

अमिता भावीसार ने पर्यावरण जागरुकता को बूर्जुआ या मध्यवर्गीय पर्यावरणवाद नाम दिया है।

एक सुरक्षित, स्वास्थ्यकर, प्रदूषणरहित, हरे-भरे और भीड़-भाड़ रहित पर्यावरण की चिन्ता का सम्बंध शारीरिक तंदुस्ती से है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा सम्बध आपकी जीवन शैली की गुणवत्ता से है। समृद्ध सम्पन्न लोग अपनी चिन्ताओं, बीमारियों ,अपराधों, आदि तनावपूर्ण शहरी विशेषताओं से आसानी से निपट लेते हैं। सुबह-सवेरे बाग-बगीचों में घूमने जा सकते हैं, वे मन्दिरों और आश्रमों में जाकर आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं। 'पेड़ लगाओ' अभियान एक ऐसी हरी भरी जादू की गोली है, जिसमें कामकाजी श्रेणी के लोगों के लिए रहने

की जगह, सफाई, पानी, यातायात जैसी मूलभूत चिन्ताओं की जगह नहीं है....। बूर्जुआ या मध्यवर्गीय पर्यावरणविदों के लिए उत्पादन की कुरूपता को शहर से हटाना जरूरी है। धुआँ फैलाते उद्योग, प्रदूषण को जन्म देती उत्पादन इकाइयां और अन्य ऐसी इकाइयां जो बदसूरती और गन्ध फैलाती हैं कहीं दूर हटा दी जानी चाहिए। तो क्या इन उद्योगों में कार्यरत लोगों को नज़रों से दूर कर देना चाहिए? घरेलू काम करने वालों, सामान बेचने वालों और कई छोटे-मोटे काम करने वालों के बगैर समृद्ध -सम्पन्न लोग आराम से जी नहीं सकते। क्या इन्हें भी नज़रों से दूर ऐसी जगह रहना चाहिए जिसे वे प्रदूषित करें! ताकि समृद्ध सम्पन्न लोगों की आँखों, कानों, नाकों और उनके घरों को ठेस न पहुँच सके। बूर्जुआ पर्यावरणविदों के लिए शहरी इलाकों को सफेद-पोशों के व्यापार और उत्पादन के लिए सुरक्षित रखना चाहिए.....झुग्गी-झोपड़ियों पर कब्जा करके उन्हें नष्ट करके उस जमीन को हथिया कर नये मॉल दुकानें, मनोरंजन पार्क, सिनेप्लेक्स और अन्य भवन विकसित किए जाते हैं। यहाँ व्यापार और फुरसत में अपनी सुविधा के अनुसार जो मन चाहे किया जा सकता है। हम आराम से भूल जाते हैं कि ये परिदृश्य, बदसूरत भूसम्पत्ति दलालों, माफिया और राजनेताओं की मिलीभगत से विकसित होते हैं.....''

''.... इन्हीं बूर्जुआ मध्यवर्गी पर्यावरणविदों के कारण हमें यह पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ता है कि भारत में पारिस्थितिकी और साम्यता एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। 'गरीबों का पर्यावरणवाद' भी बेशक शक्तिशाली रहा है पर हमें याद रखना चाहिए कि पर्यावरण से सम्बंधित सभी आन्दोलन सामाजिक न्याय भी प्रदान करवाएंगे, यह जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि बूर्जुआ मध्यवर्गी पर्यावरणवाद शहरी कामकाजी श्रेणी के लोगों के लिए एक सीधा खतरा है।''

भावीसार के आरोप स्पष्ट करते हैं कि यह जागरूकता एक शक्तिशाली माध्यम बन कर शहरी अन्याय को जन्म देती है। इसी के चलते संसाधनों को भी हथिया लिया जाता है। 'खुले स्थानों की रक्षा' के बहाने जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसा सार्वजनिक हित के लिए किया जा रहा है। भावीसार के इसी आरोप को मद्देनजर रख कर मैं अब अपना दूसरा मामला प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दूसरा मामला

चोरी का एक साधन

दूसरा मामला *अकलोली, वज्रेश्वरी और गणेशपुरी गाँवों से सम्बधित है। ये गाँव मुंबई नगर निगम सीमा से पचास किलोमीटर दूर हैं। लेकिन यह महानगर क्षेत्र में शामिल है। बेशक ये सड़कों से बहुत अच्छी तरह से जुडे हुए है। अस्पताल, आग दमकल वाहिनी जैसी सुविधाएं तीस किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध हैं। यहाँ मोबाइल सेवा भी सन्तोषजनक नहीं है, बेशक सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। यह जगह गरम पानी के चश्मों और मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माँ देवी वज्रेश्वरी, सन्त नित्यानन्द और एक स्थानीय देवता भीमेश्वरा के मन्दिर स्थापित हैं। इस स्थान के बारे में बहुत से कहानी-किस्से और मिथक प्रचलित हैं। माना जाता है कि यह बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक स्थान है और बहुत जटिल रोगों का यहाँ इलाज हो जाता है। इस क्षेत्र में ऐसे मिथकों को और अधिक बढ़ावा मिलने का एक कारण है यहाँ के पहाड़ी इलाके के ज्वालामुखी क्षेत्र, जलस्रोत और वन। यह क्षेत्र एक धार्मिक यात्रा स्थल का रूप ले चुका है। यहाँ न सिर्फ पड़ोस के आदिवासी बल्कि बहुत से शहरी लोग भी यात्रा करने आने लगे हैं।

*अकलोली, वज्रेश्वरी और गणेशपुरी मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग से लगभग सोलह किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित हैं। यह थाने जिले के भिवंडी ताल्लुके में है। शहरी समूह बाडा, वसई और भिवंडीं से यह लगभग तीस किलोमीटर दूर हैं। इस क्षेत्र के लिए सार्वजनिक वाहन उपलब्ध है। शिरसाद-अम्बाडी मार्ग का तीनों गाँवों से सम्पर्क है। मुंबई -अहमदाबाद

राजमार्ग पर स्थित शिरसाद फाटा और भिवंडी-वाड़ा मार्ग पर अम्बाडी नाका क्रमश: पश्चिम और पूर्व में तालुका भाग हैं। उत्तर में तानसा नदी और दक्षिण में तुंगारेश्वर वन हैं। तानसा नदी भिवंडी तालुका से अलगाती है।

गरम पानी के चश्मों के कारण यह स्थल पर्यावरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। नजदीक के जंगलों और तानसा नदी के कारण भी यह संवेदनशील स्थल बन चुका है। राज्य सरकार पर्यावरण के संदर्भ में इस धार्मिक स्थान का महत्व समझती है। मुंबई की क्षेत्रीय योजना ने इसका मनोरंजन और पर्यटन क्षेत्र के रूप में सीमांकन किया है। इन तीन गाँवों की जन संख्या कुल दस हजार है। इसमें से 50% अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं।

निजी सम्पत्ति के एक तिहाई से अधिक भाग के मालिक इस क्षेत्र के मन्दिरों के न्यास हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन न्यासों की संख्या में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप गाँव वालों के पास बहुत कम जमीन बची है। हमने यह भी देखा है कि जैसेही कोई न्यास जमीन खरीदता है तो उसके चारों ओर बाड़ा लगा दिया जाता है। इन जमीनों के लिए गैर-कृषि प्रमाणपत्र भी बनवा लिया जाता है। इन जमीनों में बड़ी संख्या में सुविधाजनक पर्यटक स्थल, प्राकृतिक पार्क, ध्यान केंद्र, गर्म पानी के चश्में विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ विदेशी पर्यटकों के लिए "आध्यात्मिक पर्यटन "का इन्तजाम किया जा रहा है। इन न्यासों के न्यासी बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं। वे न सिर्फ फैसले करते हैं बल्कि उनकी पहुँच सरकार के हर स्तर पर है। थाने के जिलाधीश और न्यासियों के बीच सी.आर.आई.टी.(कलेक्टीव रिसर्च इनीशिएटिव ट्रस्ट) द्वारा बुलाई अध्ययन बैठक में यह स्पष्ट हो गया था। सब सरकारी उच्च अधिकारियों को इन न्यासियों ने आश्रमों में आमंत्रित किया था। इसी के फलस्वरूप सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर कुछ धन खर्च करने का फैसला किया था। बैठक में बताया गया था कि गाँव के लोग बेतरतीब तरीके से वहाँ निर्माण कर रहे हैं। इसके चलते इस जगह की आध्यात्मिक पवित्रता के लिए खतरा पैदा हो गया है। एक मुख्य प्रस्ताव यह था कि एक सड़क ऐसी बना दी जाए जिससे आने वाले तीर्थ-यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।

(तीन गाँव में 947 हेक्टर भूमि में से 416 हेक्टर में वन हैं। वज्रेश्वरी और गणेशपुरी में लगभग 163 हेक्टर जमीन मन्दिरों के न्यासों के पास है। सिद्धपीठ ने जमीन अपनी निजी गतिविधियों के लिए रखी हुई है। दूसरे दो न्यासों ने गरीब देशी किराएदार रखे हुए हैं।)

गाँव के लोगों ने इस सुझाव का विरोध किया था। गाँववालों को एक एतराज यह भी था कि सरकारी बसें यहीं से गुजरती हैं और बस्तियों के लिए यह सुविधा एक बचाव रास्ता है। (सामूहिक अनुसन्धान पहल न्यास - CRIT) ने एक सर्वेक्षण किया था। पता चला कि इस सड़क के दोनों तरफ की जमीन जिस न्यास ने खरीदी है वह आध्यात्मिक पर्यटकों के लिए इसे बिजली संचालित प्रदूषण न फैलाने वाले वाहनों के लिए आन्तरिक मार्ग बनाना चाहता था।

स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं और गाँव वालों के दबाव में आकर सरकार को मजबूरन एक तटस्थ एजेन्सी नियुक्त करनी पड़ी थी। इस योजना के विकास के लिए सी.आर.आई.टी. को नियुक्त किया गया था। सी.आर.आई.टी. के अनुसार स्थानीय लोग सदियों से यहाँ रच-बसे हैं। उनके लिए गरम पानी के चश्मे और ज्वालामुखी पहाड़ एक जीवन शैली है। कोई भी धार्मिक स्थान जब विकसित होता है तो वहाँ भीड़-भाड़ रहती है, गन्द फैलता है। इस तरह विकसित हो चुके कई स्थान इस बात के गवाह हैं। हाल ही में जो कट्टरपंथी हिन्दूवाद उभरा है, उसके फलस्वरूप नए किस्म के तीर्थ-यात्री शहरी क्षेत्रों में आने लगे हैं। यह लोग यहाँ खूब धन भी दान करते हैं।

सी.आर.आई.टी. के सर्वेक्षण और प्रभावित आबादी के मतानुसार यह कृषि प्रधान क्षेत्र की जगह एक पर्यटन स्थल

बनता जा रहा है। वज्रेश्वरी के एक स्थानीय पत्रकार के अनुसार गाँव की लगभग 70% जनसंख्या अब पर्यटन उद्योग से जुड़े कामों में कार्यरत है। गाँव के लोग भी पर्यटकों की मौजूदगी से लाभ उठाना चाहते हैं। गाँव वालों ने हाल ही में पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर सिद्ध कर दिया है कि इस क्षेत्र को और विकसित किया जा सकता है। सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत के चलते गाँववासी किसाने से मुँह मोड़ रहे हैं। अब किसान चावल की जगह फूलों की खेती करने लगे हैं।

सी.आर.आई.टी. की छानबीन के दौरान पता चला कि एक न्यास ने पूरे क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस मास्टर-प्लान को बनाने के लिए न्यास ने

(*सी.आर.आई.टी. को जून,2004 में नियुक्त किया गया था। योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्य रूप देने के लिए सरकार ने जल्दी से रिपोर्ट मांगी थी। सी.आर.आई.टी. से यह भी पता करने को कहा गया था कि गाँववासी क्या चाहते हैं। पूरी रिपोर्ट पी.डी.एफ. फोरमैट में www.crit.org.in पर उपलब्ध है।)

पूर्वी भारत में स्थित एक आध्यात्मिक स्थान औरोविल से एक उपग्रह तस्वीर प्राप्त कर ली थी। भारत में ऐसी तस्वीर पा लेना एक मुश्किल काम है। जमीन के हर एक टुकड़े की भौगोलिक, स्वामित्व और फसल सम्बधित जानकारी इनके पास थी। न्यासों द्वारा पहले से हथियाई जमीन की जानकारी के अलावा यह भी जानकारी दी गई थी कि आगे कौन सी जमीन हथियाई जा सकती है। न्यास ने मास्टर प्लान में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि आध्यात्मिक विकास के लिए वर्तमान में बसे हुए गाँवों और बनी-बनाई सड़कों को हटा कर कहां दोबारा बनाया जाएगा। अनेक स्पा (झरने), मनोरंजन केंद्र, मनन-चिन्तन कक्ष, स्थानीय यातायात व्यवस्था, तैरने के तालाब और सौना (गर्म पानी से नहलाने का बैन्च कक्ष) इत्यादि पूरी योजना इसमें अंकित थी। इस मास्टर प्लान से न्यास के इरादों और सोच की जानकारी साफ नजर आ जाती है। जब गाँव वालों से बातचीत की गई तो समझ आया कि उन्हें वहाँ से न्यास जबरदस्ती निकाल देगा। पूरी योजना को यह तर्क दे कर पेश किया गया था कि क्षेत्र के गांव वालों की गतिविधियों से पर्यावरण को खतरा है और सन्तुलन बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। सब प्रभावित लोगों की मौजूदगी में जिलाधीश को सी.आर.आई.टी. ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मुख्य तर्क था कि पर्यावरण संरक्षण के नाम में संसाधनों की चोरी होने जा रही है। मुख्य समस्या पानी की थी। एक दिन में एक व्यक्ति को दस लीटर पानी ही मिल रहा था। यह पानी भी दूषित था। दूसरी ओर न्यास के पास स्पा कक्षों और चिन्तन मनन केंद्रो फुहारा-स्नान और शौचघरों के लिए पानी था। सी.आर.आई.टी. ने प्रस्ताव रखा था कि पानी सप्लाई बढ़ाई जाए। यह भी सिफारिश की गई थी कि क्षेत्र के लिए विकास योजना बनानी जरूरी है। इस तरह यह क्षेत्र न सिर्फ पर्यावरण के क्षेत्र में संपोषित रह पाएगा बल्कि आर्थिक स्तर पर भी जीवित और बराबरी से रह पाएगा।

रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद चुनाव घोषित हो गए। जाहिर है सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाई। इस बीच सी.आर. आई.टी. को पता चला है कि न्यासियों ने एक वास्तुशिल्प स्कूल के कुछ अध्यापकों को क्षेत्र में पर्यावरण को हो रहे नुकसान और योजना पर खोजबीन के लिए काम सौंप दिया है। इस अनुसन्धान को मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) का समर्थन प्राप्त है। एक न्यासी और स्कूल के एक शिक्षक द्वारा लिखे खत का एक अंश।*

(*सी.आर.आई.टी. के पास मन्दिर न्यासियों और के.आर.वी.आई.ए. के अध्यापकों द्वारा लिखे अनेक खतों की प्रतियाँ हैं।)

प्रिय न्यासी, 12 जून,2004 को हमारी बैठक के बाद हमने महसूस किया कि राजनैतिक स्तर पर इतने नाजुक क्षेत्र

में काम करने के लिए आप हमारी इंस्टीट्यूट के डिजाइन सैल की मदद से काम करें। इसके लिए आप एम.एम.आर.डी.ए. से सीधा सम्पर्क कर लें। शुक्रवार को एम.एम.आर.डी.ए. के पर्यावरण सुधार सोसाइटी के सचिव/ अध्यक्ष (इस सोसाइटी ने हमारी पवई योजना को वित्तीय सहायता दी थी) और एम.एम.आर.डी.ए. के मुख्य आयोजक के साथ बैठक रखी गई है।

.....मैंने अपने निदेशक को सिर्फ एम.एम.आर.डी.ए. पर्यावरण सोसाइटी की मंजूरी के बारे में बता दिया है। एम.एम.आर.डी.ए. को प्रस्ताव भेजने से पहले हमें हमारे प्रबन्धक के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हमने अपने पास उपलब्ध जानकारी एकत्रित कर ली है। हम एक सप्ताह बाद मिल सकते हैं। हमें जिलाधीश के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि वह आपके पत्र का सकारात्मक उत्तर देंगे। अगर विकास कार्य सही योजनाबद्ध तरीके से न किया गया तो गरम पानी के चश्मे नष्ट हो जाएंगे। इस तर्क के चलते हमारा काम बन जाएगा।

आशा करता हूँ कि सब ठीक होगा।

आपका

असिस्टेंट प्रोफेसर

अनुसन्धान प्रस्ताव
तानसा नदी घाटी की भू-उष्मीयता का पारिस्थितिक पोषण

..... एक ऐसे देश में जहाँ पानी की आध्यात्मिक स्तर पर पूजा होती है, जल को एक दार्शनिक ढंग से रोगहर माना जाता है वहाँ इसकी महत्ता को नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता। आम भारतीय की जिन्दगी में पानी के महत्व को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है..... गरम पानी के चश्मों और उष्णोत्सकों को आम तौर पर रोगहर माना जाता है।

..... इस क्षेत्र में गरम पानी के चश्मे भू-उष्मीय मंडलों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक भ्रंश के कारण होती है और ये आम तौर पर पहाड़ों के बीचों -बीच बन जाते हैं..... नम जमीन में पनपने वाले पौधों, आसपास के क्षेत्र में वनों को गरम पानी के चश्मे सूक्ष्म जीवाणुओं को गरम पानी के चश्मे जीवन दान प्रदान करते हैं। ..... तानसा नदी घाटी शहर के करीब पहुंच गया है। इसका परिस्थिति-विज्ञान अपने आप में अनोखा है। यहाँ बड़ी तेजी से शहरीकरण हो रहा है। बम्बई नगर का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है और शहर अब सीमांत क्षेत्रों तक पहुँच गया है ..... विदेशों में ज्यादातर गरम पानी के चश्मों को मनोरंजन क्षेत्र माना जाता है। यहाँ इनका वैज्ञानिक, शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक महत्व होता है ..... आम तौर पर उपभोक्ताओं का चश्मों से सीधा सम्पर्क नहीं बनने दिया जाता है। इन चश्मों के आसपास पर्यावरण की रक्षा के लिए आम तौर पर कानून होते हैं ..... नदियों, झीलों और इन चश्मों की रक्षा का भी इन्तजाम होता है। इन चश्मों के आसपास के क्षेत्र के लिए गाइड उपलब्ध होते हैं। इन क्षेत्रों को बेशक शहरीकरण से बचाया जाता है। लेकिन इनकी घेराबन्दी नहीं की जाती है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोग इसके एक हिस्सा होते हैं... इसलिए जरूरत सिर्फ चश्मों की निशानदेही की नहीं बल्कि तानसा नदी के पूरे क्षेत्र पर नजर रखने की है। यहाँ के पर्यावरण और वातावरण की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ हो रहे निर्माण, ढांचागत विकास और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाए।

(*यह अंश हैं उस अनुसन्धान प्रस्ताव के जिसे कमला रहेजा विद्यानिधी इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड एन्वायरमेंट स्टडीज के डिजाइन सेल ने विकसित किया। यह काम 2004 में किया गया था जिसे मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) ने अक्तूबर,2004 में मंजूरी दी थी।)

इस अनुसन्धान प्रस्ताव के माध्यम से हमें यह दोबारा

पता लगाना है कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में किस तरह के विकास की अनुमति होनी चाहिए। यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। मैं अपने प्रस्ताव के अन्त में एक और तर्क पेश कर रहा हूँ। संसाधनों का गलत इस्तेमाल पर्यावरण जागरूकता के माध्यम से होता है। इस मामले में यह एकदम जनता विरोधी है।

तीसरा मामला

संपत्ति की रक्षा के लिए रणनीति

तीसरा मामला 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मुंबई शहर के उत्तर में स्थित वसई -विरार उपक्षेत्र है। यहां तीसरा मामला है। यहाँ, बहुत ढेर सारे तेजी से चलने वाले यातायात साधन हैं। इस तरह मुंबई बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है। हाल के वर्षों में यहाँ बहुत सी आवासीय बस्तियाँ बन गई हैं और नगर के परिवार इन्हें खरीदने या किराए पर लेने की सामर्थ्य रखते हैं। ये बस्तियाँ क्षेत्र में अनेक स्थानों में विकसित हो चुकी हैं। ज्यादातर रेल्वे स्टेशनों, कृषि भूमि और कच्छी जमीन पर बनाई जाती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि बिल्डरों की कितनी जमीन हासिल हो पाई।

इस क्षेत्र में सिर्फ हाल ही में आकर बसे लोग नहीं रहते हैं। प्राचीन काल से यहाँ पर व्यापारी आ कर बसते रहे हैं। बेशक यहाँ कृषकों, मछेरों, ताड़ी किसानों, नमक बनाने वालों की रिहायश है। यहाँ ऐसे भी कबीली जनजातीय गाँव है जहाँ शिकारी रहते हैं।

यह क्षेत्र मुंबई के नजदीक है और यहाँ पहुँचना आसान है। इसी वजह से यहाँ का शहरीकरण तेजी से हो गया है और यह मुंबई पर काफी हद तक निर्भर है। यह क्षेत्र मुंबई का शयनागार माना जाता है। कमजोर कानूनों के चलते यहाँ जमीन माफिया खूब पनपा है। फैसलों की प्रक्रिया में माफिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1988 से सरकार इस क्षेत्र के लिए विकास योजना लागू करने की कोशिशें कर रही है। उसी समय से संगठित स्थानीय समुदाय बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना करता आ रहा है। लगभग एक दशक तक मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और नगर व उद्योग विकास निगम इस विकास योजना को लेंकर जूझते रहे। राज्य सरकार ने जब एक तीन सदस्यों वाली समिति गठित की तो 2001 में इस समिति ने एक योजना तैयार की।

इस योजना में अनेक प्रस्ताव रखे गए जो स्थानीय लोगों को मंजूर न थे। उनका मानना था कि इस तरह के प्रस्तावों के लागू होने पर बाहरी लोग आकर बेतहाशा विकास करने लगेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ने का डर बन जाएगा।

कृषि जगत के लिए इन प्रस्तावों के लागू होने पर नमक-पटल, कच्छी जमीन और कीचड़दार जमीन पर बहुत से बदलाव किए जा सकते हैं। प्रस्ताव में वन और कृषि क्षेत्रों में पर्यटक स्थल विकसित करने का सुझाव था। स्थानीय लोगों का आरोप था कि जमीन माफिया व ठेकेदारों को इस प्रस्ताव द्वारा एक मौका दिया जा रहा है।

दूसरी ओर प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि निजी उद्योग सुविधाओं का ध्यान रख कर काम करेगा। प्रस्ताव में पानी की सप्लाई और जल-निकासी की व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विकास प्रस्ताव में शहर को विकसित करने की ही बातें कही गई थी। पूरी मुंबई के झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को यहाँ बसाने की योजना बनाई गई थी। क्षेपण भूमि में कूड़ा-करकट फेंकने के लिए यहाँ एक खता बनाने का सुझाव था। शहर के मवेशियों के लिए यहाँ तबेले बनाने का सुझाव भी इस योजना में था। विकास योजना में अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी न थी।

स्थानीय समुदाय के सब दलों से गठित वसई विकास अराखाड़ा नागरी कृति समिति ने सी.आर.आई.टी. से निवेदन किया था कि वह राज्य सरकार को एतराजों और सुझावों से अवगत करवाए। सी.आर.आई.टी. ने क्षेत्र का विस्तृत स्तर पर अध्ययन किया था। राज्य सरकार को बताया गया कि इस योजना को लागू करने से सिर्फ भूमि माफिया, भवन

निर्माताओं को लाभ होगा। स्थानीय आबादी को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। जब यह रिपोर्ट पेश की गई तो राज्य योजना समिति के प्रतिनिधि श्री हर्डीकर ने टिप्पणी की थी:

''विकास योजना नए अवसर प्रदान कर रही है। आप लोग (सी.आर.आई.टी.) एक गैर सरकारी संगठन है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को इन अवसरों का लाभ उठाने का प्रशिक्षण दें। आदिवासी लोग संगठित हो कर क्यों पर्यटक स्थल विकसित नहीं कर सकते हैं?''

यह साफ था कि सरकार अपनी बात पर टिकी थी। उसी वर्ष राज्य सरकार ने इसी विकास योजना को बिना कोई खास बदलाव किए पारित कर दिया। चुनावों की वजह से वसई विकास अराखाड़ा नागरी कृति समिति की गतिविधियाँ रुक गई थीं। यह आन्दोलन आगे भी विफल रहेगा। एक फिल्मी सितारा इस क्षेत्र का संसद सदस्य है और एक जमीन माफिया का मुखिया इस क्षेत्र से विधान-सभा का सदस्य है।

सी.आर.आई.टी. ने क्षेत्र में एक नया कार्यक्रम बनाया। इनमें विरासत, पर्यावरण और टिकाऊ बस्तियों को मुख्य मुद्दा बनाया गया। पहले शुरू हो चुके पर्यावरण सम्बधी आन्दोलनों से सीख लेते हुए सी.आर.आई.टी. ने एक सर्वेक्षण किया। पहले भी अकलोई-वज्रेश्वरी और गणेशपुरी क्षेत्रों की रक्षा के लिए आन्दोलन किया गया था। तब मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इन प्राचीन क्षेत्रों की रक्षा की थी। सी.आर.आई.टी. को उम्मीद है कि इस क्षेत्र के लाभ के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।

मेरा तीसरा तर्क है कि संसाधनों की चोरी से बचने के लिए सिर्फ पर्यावरण जागरूकता जरूरी है। इस तरह की जागरूकता के लिए अनुकूल पारिस्थितियाँ हैं। हमने देखा है कि मुंबई में विरासत संरक्षण के लिए लोगों को संगठित किया जा सकता है। अनेक इलाकों को दुरुपयोग से बचाने के लिए राजनैतिक संरक्षण भी मिल जाता है। आज पर्यावरण के प्रति जागरूकता विशेष महत्व रखती है। आशा की जानी चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल दुरुपयोग से बचने के लिए कर सकेंगे।

अनुवादक : सरोज वशिष्ठ

■ ■ ■ ■ ■